भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1749
10.12.2025 को उत्तर देने के लिए

निजी पूंजीगत व्यय पर निगरानी

1749. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा निजी पूंजीगत व्यय पर निगरानी रखने के लिए किए जा रहे नए वार्षिक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या है और इसके अपेक्षित परिणाम क्या हैं तथा उक्त पहल देश में निजी निवेश प्रवृत्तियों की इसके वर्तमान समझ को किस प्रकार बेहतर बनाएगी; और

(ख) सरकार अपने डेटा संग्रहण को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) जैसे मौजूदा स्रोतों से किस प्रकार अलग करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के पूंजीगत निवेश इरादों पर अग्रदर्शी सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रमुख निवासी उद्यमों से निम्नलिखित पर जानकारी एकत्र करके गैर-वित्तीय और वित्तीय निगमों को कवर करने वाले निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के पूंजी निवेश इरादों को मापना है:

(i) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय,

(ii) विभिन्न परिसंपत्ति समूहों और उद्योगों पर मौजूदा और आगामी वित्त वर्षों के दौरान किया गया अथवा किया जाने वाला पूंजीगत व्यय

सर्वेक्षण के परिणामों से पिछले तीन वर्षों, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों के बीच पूंजीगत व्यय प्रवृत्तियों का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करके भारत में निजी निवेश प्रवृत्तियों के वर्तमान समझ में सुधार होने की संभावना है।

(ख): निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश इरादों पर अग्रदर्शी सर्वेक्षण करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली इस प्रकार है:

2017 में यथा संशोधित, सांख्यिकी अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के अनुसार और जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 संख्या 18/2023 और उसके तहत 2024 में बनाए गए नियमों के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ पंजीकृत सक्रिय निवासी निजी उद्यमों के एक फ्रेम से चुने गए उद्यमों को नोटिस जारी किए गए हैं। डेटा संग्रहण एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जहां चयनित उद्यम स्व-संकलन के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, उद्यमों के चयन के लिए तकनीकी सलाहकार समूह और संचालन समिति के सदस्यों द्वारा मान्य एक मजबूत वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षा, अनुसंधान, अर्थशास्त्र, वित्त, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, वेब पोर्टल में अंतर्निहित सत्यापन जांच सम्मिलित है, तथा डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा गहन जांच की जाती है।

*****